

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
नागरिक उड्डयन,  
30प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग

लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2017

विषय: पी0आई0एल0 संख्या-9552/2016 (अजय कुमार मिश्र बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य) तथा पी0आई0एल0 संख्या-55081/2017 (सचिन्द्र उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन, 30प्र0 लखनऊ के पत्रांक 410/ए0एफ0 108-12/2017 दिनांक 02 अगस्त 2017, के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इलाहाबाद सिविल इन्क्लेव की स्थापना हेतु 30.3910 हे0 भूमि चिन्हित है। इस भूमि के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-21/2016/1817/छप्पन-2015-81/2013, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा रू0 2,89,21,65,906/- (रूपए दो अरब नवासी करोड़ इक्कीस लाख पैंसठ हजार नौ सौ छः मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। इस प्रशासकीय अनुमोदन के सापेक्ष अब तक कुल धनराशि रू0 2,48,36,69,394/- (रूपए दो अरब अड़तालीस करोड़ छत्तीस लाख उन्हत्तर हजार तीन सौ चौरानबे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु इलाहाबाद में सिविल इन्क्लेव के निर्माण हेतु भूमि क्रय किए जाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवशेष धनराशि रू0 40,84,96,512/- (रूपए चालीस करोड़ चौरासी लाख छियानबे हजार पांच सौ बारह मात्र) की धनराशि वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 40,84,96,512/- (रूपए चालीस करोड़ चौरासी लाख छियानबे हजार पांच सौ बारह मात्र) को निदेशक, नागरिक उड्डयन, 30प्र0, लखनऊ द्वारा आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, इलाहाबाद के निवर्तन पर रखा जायेगा और जिलाधिकारी इलाहाबाद द्वारा यथावश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाले व्यय को अनुदान संख्या-38 वित्तीय वर्ष 2017-18 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4- शासनादेश संख्या-1412(1)/छप्पन-2013-81/13, दिनांक 09 जनवरी, 2014 में इंगित नियम/शर्तें यथावत् रहेंगी।

5- यह वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/10-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिए गए प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(सूर्य पाल गंगवार)  
विशेष सचिव

**संख्या-56/2017/1078(1)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, 30प्र0, इलाहाबाद।
- (2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
- (3) आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल।
- (4) जिलाधिकारी, इलाहाबाद।
- (5) मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/इलाहाबाद।
- (7) निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, 30प्र0, लखनऊ।
- (8) अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व/भूमि अध्याप्ति अधिकारी, इलाहाबाद।
- (9) वित्त (व्यय-नियंत्र) अनुभाग-7
- (10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-7
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी)  
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।